

## कार्यालय आयकर निदेशक (छूट), Office of the Director of Income Tax (Exemption) दूसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 2<sup>ND</sup> floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad 380009

फा.सं.आ.नि(छूट.)/अहम./80जी (5)/271/2011-12

ता.: 13.02.2012

न्यासी /The Trustee MARK PATENT. ORG. M/4, N.R. HOUSE NEAR POPULAR HOUSE ASHRAM ROAD DIST-AHMEDABAD

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)के तहत

रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन --Sub: Application for grant of Approval / renewal u/s. 80G(5) of I.T.Act,1961 --

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता. .....के फार्म नं. 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी(5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर, कटौती योग्य है।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 29.09.2011 it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction u/s.80G(5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

 उपर्युक्त छूट ता. ..... से वैद्य है। जब तक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्न-लिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid from <u>01.04.2011</u> onwards ( A.Y. 2011-12 onwards ) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions :-

- (i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैद्य है, का उल्लेख करें। Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.
- (ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15),11,12,13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए। The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961

## फा.सं.आनि(छूट.)/अहम./80जी (5)/271/2011-12 MARK PATENT. ORG.

. 2.

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, संबंधित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बेलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the IT Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.

(iv) अगर विलेख/एसोसिएशन ज्ञापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी को तूरंत सूचित किया जाए। Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

Sd/-

( कमलेश वल्लभराम दवे )

आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad

प्रतिलिपि

Copy to :

Ģ

(i) अपर आयकर निदेशक (छुट), अहमदाबाद.

The Addl. DIT(Exemption), Ahmedabad.

(ii) उप आयकर निदेशक (छुट), अहमदाबाद द्वारा संबंधित वर्षो के लिए प्रस्तुत किया गया वार्षिक लेखा विवरण से संतुष्ट हो एवं यह भी देखें कि आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(जी) की शर्तो तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।

The DDIT(Exemption),AHMEDABAD He should satisfy himself with reference to annual statements and accounts for the relevant years submitted by the applicant and see that it continue to fulfill the conditions laid down U/s. 80G of the IT Act and instructions issued by the Board from time to time.



आयकर अधिकारी (मुख्य), अहमदाबाद Income Tax Officer (HQ), कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद For,Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad